



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय

Headquarters

पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002

PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002

Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in

Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

N-15011/14/2022-P&D

दिनांक : 19.07.2024

परिपत्र / Circular

विषय:- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 उपधारा 3 के अंतर्गत मणिपुर राज्य के गैर अधिसूचित जिलों नामतः बिष्णुपुर, सेनापति, उखरुल, कंगपोकपी, चूराचांदपुर एवं थोउबल के सभी क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना संबंधी। / Notification under sub section 3 of Section 1 of ESI Act in all the area of non-notified districts i.e. Bishnupur, Senapati, Ukhrul, Kangpokpi, Churachandpur and Thoubal, in the State of Manipur.

उपरोक्त विषय पर मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-II-खण्ड-3-उप-खण्ड(ii) में दिनांक 10.07.2024 को प्रकाशित अधिसूचना स.का.आ. 2696 (अ) दिनांक 10 जुलाई, 2024 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है। (गजट.आई.डी.स- **CG-DL-E- I 0 07 2024-255311**)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत मणिपुर राज्य के गैर अधिसूचित जिलों नामतः बिष्णुपुर, सेनापति, उखरुल, कंगपोकपी, चूराचांदपुर एवं थोउबल के सभी क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन दिनांक 01.08.2024 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 26 96 (E) dated 10th July, 2024 published in Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section-3, Sub-section (ii) on 10.07.2024 by Ministry of Labour & Employment for information. (Gazette ID No- **CG-DL-E- I 0 07 2024-255311**)

Implementation of ESI Act,1948 under Section 1(3) in all the area of non-notified districts i.e. Bishnupur, Senapati, Ukhrul, Kangpokpi, Churachandpur and Thoubal, in the State of Manipur shall be effective from 01.08.2024.

अधिसूचित / गैर अधिसूचित जिलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है The Current Status of Notified/ Non-Notified districts is as under:

संपूर्ण क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Fully Notified Districts	571
आंशिक रूप से क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Partially Notified Districts	103
गैर अधिसूचित जिले/ Non Notified Districts	104
कुल / Total	674/778

संलग्नक - यथोपरि

(अमित कुमार तिवारी)
उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र -असम को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें।